नवभारत 17/5/0

# मंत्रालय तक आसानी से पहुंचेगी आम आदमी की आवाज

नगर संवाददाता

रायपुर. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में जनसमस्याओं के यथासंभव तुरन्त निराकरण के लिये जनता को वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है. डॉ. रमन सिंह ने सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय और अपने कलेक्टोरेट के बीच शुरू की गयी इस अत्याधुनिक संचार सुविधा की जानकारी प्रचार-प्रसार के जरिए आम जनता को दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें.

उल्लेखनीय है कि वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रत्येक जरूरतमंद आम आदमी की आवाज आसानी से मंत्रालय तक पहुंच सकेगी. लोगों को इसके लिये राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी. आम नागरिक जिला मुख्यालय में आकर और वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए अधिकारियों से रू-ब-रू होकर मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे. यह सुविधा राज्य के सोलह में से चौदह जिलों में शुरू हो गयी है. अन्य दो जिलों-दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और रायपुर के लिये भी यह सुविधा बहुत जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. सामान्य प्रशासन और जनशिकायत निवारण विभाग ने यहां मंत्रालय में इस प्रणाली के माध्यम से जनसमस्याओं की सुनवाई के लिये नई समय सारिणी की घोषणा की है, जो आगामी सोमवार एक मई से लागू हो जाएगी. विभाग के अधिकारियों ने आज यहां मंत्रालय में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिलेवार निर्धारित समय सारिणी के अनुसार बिलासपुर और बस्तर (जगदलपुर) जिलों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए यह सुनवाई प्रतिदिन होगी. बिलासपुर के लिये दोपहर 12 से 12.30 बजे तक और बस्तर के लिये 12.30 से 1 बजे तक मंत्रालय

**वीडियो कांफ्रेसिंग से होगी जन शिकायतों की सुनवाई**

स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में राज्य शासन के अधिकारी जनसमस्याओं की सुनवाई तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी के लिये उपलब्ध रहेंगे. प्रत्येक सोमवार और गुरूवार को दुर्ग, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को धमतरी और प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को महासमुंद जिले की जनसमस्याओं की सुनवाई के लिये पूर्वान्ह 11.30 से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इसी कड़ी में प्रत्येक सोमवार और बुधवार को रायगढ़, प्रत्येक मंगल और गुरूवार को जांजगीर-चांपा तथा प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को कबीरधाम (कवर्धा) जिले के लिये दोपहर 12.30 से एक बजे तक सुनवाई की व्यवस्था रहेगी. प्रत्येक शुक्रवार को कोरिया (बैकुंठपुर) और प्रत्येक शनिवार को जशपुर जिले की जनशिकायतों का निराकरण दोपहर 12.30 से एक बजे तक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए किया जाएगा. उत्तर बस्तर (कांकेर) और कोरबा जिले के लिये प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को दोपहर 12.45 से एक बजे तक सुनवाई की जाएगी. सरगुजा जिले को प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर एक बजे से 1.30 बजे तक वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा मिलेगी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वीडियो कांफ्रेसिंग के लिये निर्धारित दिवस और समय पर उनके द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी कलेक्टोरेट स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के कमरे में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें और जनता से प्राप्त शिकायतों को सुनकर उनका निराकरण करें. इस दौरान मंत्रालय के अधिकारी भी अपने वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष में मौजूद रहेंगे और जिलों के नोडल अधिकारियों से प्रकरणों के बारे में चर्चा करेंगे. निर्धारित दिवस और समय पर आम नागरिक भी अपने जिले के कलेक्टोरेट में आकर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मंत्रालय तक अपनी आवाज पहुंचा सकेंगे.